

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/10466-5 दिनांक 11/01/18

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश की शिशु मृत्युदर (IMR) 43 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2016) एवं नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) 31 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2015) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 34 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 25 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 05 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस०एन०सी०यू० के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट upnrhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आदर्श इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। (आपरेशनल गाइड लाइन की छायाप्रति संलग्न)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में 05 नवीन एस०एन०सी०यू० को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

1- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की छोटी-मोटी मरम्मत हेतु।

FMR Code-B.5.6.1 पर सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित कर क्रियाशील बनाये जाने के लिये आवश्यक छोटी-मोटी मरम्मत हेतु अधिकतम रु० 4.00 लाख प्रति इकाई की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

Table- 1: Minor Repair and Renovation etc.

S.N.	Item	Quantity	Amount (in Lacs)
1	New SNCU/NBSU/NBCC to be initiated this year (Repair & Renovation for SNCU)	1	4.00

2- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं सामग्री

FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost @ Rs. 12.00 Lakhs पर प्रति इकाई उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस०एन०सी०यू० का विद्युतीकरण, अर्थिंग विधुत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु रु० 12.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैण्डर्ड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr.No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2

Aluc

Sr.No.	Item	Quantity
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacuume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :- उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items	
• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacillocid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)	
b. Life saving drugs for Emergency	

3- FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों जनपद स्तर पर क्रय हेतु प्रति इकाई रू0 25.00 लाख की दर से धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश स्तर से एस0एन0सी0यू0 के समस्त उपकरणों के दर अनुबन्ध होने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु जनपदों में स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से प्रेषित किये जायेंगे।

5- वित्त पोषण

05 नवीन जनपदों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर छोटी-मोटी मरम्मत हेतु (Repair & Renovation for SNCU) प्रति इकाई ₹0 4.00 लाख की दर से FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई ₹0 12.00 लाख की दर से धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

District wise Funds for Districts 5 New SNCU Approval ROP & SROP 2017-18				
S. N.	Name of Districts	One time Establishment Cost of 5 new Proposed SNCU@Rs.12lakhs/SNCU	New SNCU/NBSU/NBCC to be initiated this year (Repair & Renovation for SNCU)	Total fund (RCH+Mission Flexipool)
		RCH Flexipool	Mission Flexipool	Released to DHS (Amount in Rs)
FMR Code		A.2.2.1	B.5.6.1	
1	Auraiya	1200000.00	400000.00	1600000.00
2	Bareilly	1200000.00	400000.00	1600000.00
3	Etah	1200000.00	400000.00	1600000.00
4	Hapur	1200000.00	400000.00	1600000.00
5	Sambhal	1200000.00	400000.00	1600000.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इंजीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध करायें ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017-18/

दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।
4. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, औरैया, बरेली, एटा, हापुड़, सम्भल।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
8. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ, उ0प्र0 बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

List of Required Instrument for SNCU for Minimum 12 beded Unit

Item No	Item Description	Essential	Desirable	Quantity for 12 Bed Unit
1	Open care system: radiant warmer, fixed height, with trolley, drawers,O2-bottles	E		12
2	Phototherapy unit, single head, high intensity	E		6
3	Resuscitator, hand-operated, neonate, 250 ml	E		2
4	Resuscitator, hand-operated, neonate, 500ml	E		4
5	Laryngoscope set, neonate	E		6
6	Suction Pump, portable, 220V, w/access	E		2
7	suction Pump, foot-operated	E		2
8	Surgical Instrument. suture/SET	E		2
9	Syringe pump, 10,20,50 ml, single phase	E		3
10	Oxygen hood, S and M, set of 3 each, including connecting tubes	E		6
11	Oxygen concentrator	E		4
12	Thermometer,clinical,digital,32-43°C	E		12
13	Electronic,baby-Weighing Scale, ,10 kg <5g>	E		4
14	Pulse oxymeter, bedside, neonatal	E		6
15	Stethoscope, binaural, neonate	E		12
16	Sphygmomanometer, neonate, electronic	E		6
17	Light,examination, mobile,220-12V	E		6
18	Syringe Hub cutter	E		2
19	Measure Tape, vinyl-coated, 1.5m.	E		2
20	Kidney, Basin, stainless steel, 825ml	E		4
21	Dressing, Tray ,stainless stel ,300x200x30mm	E		4
22	Infusion Stand,double hook, on castors	E		1
23	Indicator, TST control spot/PAC-300		D	1
24	Irradiance meter for phototherapy units		D	2
25	Monitor, vital sign, NIBP, HR,SpO2, ECG, RR,Temp		D	1
26	ECG unit, 3 channel, portable/SET		D	2
27	Infantometer, plexi, 3½ft/105cm	E		1
28	X-Ray, mobile		D	1
29	ventilator		D	1
30	Autoclave, steam, bench top, 20L, electrical		D	1
31	Laundry washer dryer, combo, 5kg		D	
32	Bilirubin measuring device			1
33	Transport incubator			1
34	patient monitoring system			1
35	Basinet			6

Alu

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/SNCU/36/2017-18/

दिनांक 11/01/18

विषय-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित किये जाने हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है प्रदेश की शिशु मृत्युदर (IMR) 43 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2016) एवं नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) 31 प्रति 1000 जीवित जन्म (SRS 2015) जो क्रमशः राष्ट्रीय औसत 34 प्रति 1000 जीवित जन्म एवं 25 प्रति 1000 जीवित जन्म से अधिक है जिसके दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को तत्काल उचित उपचार एवं सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 05 नवीन जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद स्तर पर एस०एन०सी०यू० के मानक एवं स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी "ऑपरेशनल गाइडलाइन" के अंश वेब साइट upnrhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध है का अवलोकन कर एक आदर्श इकाई स्थापित कर क्रियाशील किया जाना है। (आपरेशनल गाइड लाइन की छायाप्रति संलग्न)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में 05 नवीन एस०एन०सी०यू० को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

1- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की छोटी-मोटी मरम्मत हेतु।

FMR Code-B.5.6.1 पर सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) को स्थापित कर क्रियाशील बनाये जाने के लिये आवश्यक छोटी-मोटी मरम्मत हेतु अधिकतम रु० 4.00 लाख प्रति इकाई की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

Table- 1: Minor Repair and Renovation etc.

S.N.	Item	Quantity	Amount (in Laacs)
1	New SNCU/NBSU/NBCC to be initiated this year (Repair & Renovation for SNCU)	1	4.00

2- "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCU) की स्थापना हेतु उपकरण एवं सामग्री

FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost @ Rs. 12.00 Lakhs पर प्रति इकाई उपकरणों के क्रय हेतु नीचे दी जा रही तालिका में इकाई की स्थापना हेतु एक बार के लिये एस०एन०सी०यू० का विद्युतीकरण, अर्थिंग विद्युत उपकरण, मेज, कुर्सी आदि अन्य तथा नीचे तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु रु० 12.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। सामग्री उच्च कोटि एवं अच्छे स्टैंडर्ड (Standard) की होनी चाहिये।

Table- 1: Items, which can be procured at District Level

Sr.No.	Item	Quantity
1	1.5 Ton split AC	2
2	1.0 Ton Split AC	2

Sr.No.	Item	Quantity
3	Voltage Stabilizer 4 KVA	2
4	Voltage Stabilizer 3 KVA	2
5	Revolving chairs	4
6	Revolving stool	6
7	Single beds	2
8	Bed mattresses	2
9	Pillow	4
10	Almirah	4
11	Heat radiator (Oil immersion Heater)	4
12	Refrigerator 180 ltr.	1
13	Washing machine	1
14	Vacuume cleaner	1
15	Desktop	1
16	Printer	1
17	UPS	1

नोट :- उक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इन्हें पूर्व में क्रय नहीं किया गया है इसका डुप्लीकेशन न किया जाये।

Table- 2: Disposables (These items should be supplied regularly to the SNCU)

a. Disposable Items
• Cord clamp • Dee Lee's Mucus trap • Neoflon (intra venous catheter) 22, 24 & 26 G • Microdrip set with and without burette • Blood transfusion set • 3 way stop clock • Suction catheter size # 10, 12 Fr • Endotracheal tubes size # 2, 2.5, 3, 3.5 mm • Feeding tubes size # 5,6,7,8 Fr • Syringes : tuberculin, 1,2,5,10, 50 cc with needle nos. 22, 24, 26 • Sterile gloves and drapes • Chemical disinfectants : Cidex, Bacilloid, Liquid soap and detergent, sterilium, savlon, phenol, Lysol, betadine and rectified spirit • Glucostix and multistix stripes (in containers) • Capillary tubes for microhematocrit (in containers) • Baby Diapers, Cotton, surgical gauze • Pediatric infusion bottles (5% Dextrose, 10% Dextrose, Isolyte-P, Normal saline)
b. Life saving drugs for Emergency

3- FMR Code-B16.1.2.2 पर Procurement of equipments for SNCUs, "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) के लिये 12 शैय्याओं हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची पत्र के साथ संलग्न की जा रही है एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों जनपद स्तर पर क्रय हेतु प्रति इकाई रु0 25.00 लाख की दर से धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश स्तर से एस0एन0सी0यू0 के समस्त उपकरणों के दर अनुबन्ध होने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु जनपदों में स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही मानव संसाधन हेतु दिशा निर्देश एवं धनराशि अलग से प्रेषित किये जायेंगे।

5- वित्त पोषण

05 नवीन जनपदों में "सिक न्यूबोर्न केयर इकाई" (SNCUs) की स्थापना किये जाने हेतु FMR Code-B.5.6.1 पर छोटी-मोटी मरम्मत हेतु (Repair & Renovation for SNCU) प्रति इकाई ₹0 4.00 लाख की दर से FMR Code-A.2.2.1 पर One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई ₹0 12.00 लाख की दर से धनराशि जनपद के सम्मुख नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है। धनराशि प्राप्त होते ही धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

District wise Funds for Districts 5 New SNCU Approval ROP & SROP 2017-18				
S. N.	Name of Districts	One time Establishment Cost of 5 new Proposed SNCU@Rs.12lakhs/SNCU	New SNCU/NBSU/NBCC to be initiated this year (Repair & Renovation for SNCU)	Total fund (RCH+Mission Flexipool)
		RCH Flexipool	Mission Flexipool	Released to DHS (Amount in Rs)
FMR Code		A.2.2.1	B.5.6.1	
1	Auraiya	1200000.00	400000.00	1600000.00
2	Bareilly	1200000.00	400000.00	1600000.00
3	Etah	1200000.00	400000.00	1600000.00
4	Hapur	1200000.00	400000.00	1600000.00
5	Sambhal	1200000.00	400000.00	1600000.00

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवंटित धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्क्रेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
8. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

9. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग एवं अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा के इन्तजाम सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व चिकित्सालय प्रशासन/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, नोडल अधिकारी, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) हेतु निर्माण कार्य/स्थापना का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसकी सूचना प्रमाण पत्र सहित महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, को तत्काल उपलब्ध कराये ताकि क्रियाशील किये जाने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2017-18/10466-5(8) दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य सोसाइटी औरैया, बरेली, एटा, हापुड़ एवं सम्भल।
4. सम्बन्धित, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, औरैया, बरेली, एटा, हापुड़, सम्भल।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
8. हेल्थ ऑफीसर, यूनीसेफ, उ0प्र0 बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य